

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

-:: नोटिस ::-

1. माननीय मंत्री के कार्यालय कक्ष हेतु 01 अद्द T.V (90 inch) का क्रय किया जाना है।
2. आपूर्ति करने वाले एजेंसी के पास Active GST हो।
3. आपूर्ति आदेश मिलने के दो दिनों के अन्दर उक्त T.V का आपूर्ति करना है।
4. उक्त नोटिस को किसी भी समय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा वापस लिया जा सकता है।
5. उक्त नोटिस दिनांक-10.09.2026 तक मान्य है।
6. आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्यालय के विनिर्दिष्ट स्थान पर उक्त T.V की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन की जायेगी, जिसके लिए ढुलाई भाड़ा एवं अधिष्ठापन शुल्क अलग से देय नहीं होगा।

नोट :- क्रय पर बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुनील कुमार सुबन्धु)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-अ0सं0क0-02-04/लेखा-05/2018 (खण्ड)....3.5.66../पटना, दिनांक 02/09/26

प्रतिलिपि:-~~आई. टी.~~ प्रबन्धक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आगत-निर्गत कोषांग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय सूचना पट्ट पर चिपकाने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव